



2026:AHC:26955

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 4844/2026

मोहम्मद इस्लाम

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: रमाकांत दुबे, विनीत कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत याचिका दायर की है:-

“(i) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें सहायक कलेक्टर/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील लालगंज, मिर्जापुर को यह आदेश दिया जाए कि वे 30प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित आदेशों दिनांक 13.05.2025, 27.06.2025 और 23.07.2025; जो रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 3, 4 और 5 के रूप में संलग्न हैं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें; यह कार्यान्वयन 30प्र0 राजस्व न्यायालय नियमावली के अनुच्छेद 460 में निहित प्रावधान के आधार पर, तथा इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए।

(ii) परमादेश की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थी अधिकारियों को यह आदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 01.11.2025 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर, विधि के अनुसार विचार करें और उसका निर्णय करें।”

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी, 30प्र0 राजस्व न्यायालय नियमावली (संशोधन) विनियम, 2016 के पैराग्राफ 46 के अंतर्गत यथा-उपबंधित, उपर्युक्त आदेश का अनुपालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि संबंधित प्राधिकारी उपर्युक्त आदेश का शीघ्रतापूर्वक अनुपालन करेंगे।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

5. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और मामले के गुण-दोष में जाए बिना, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित प्राधिकारी उपर्युक्त आदेश का पालन अत्यंत शीघ्रता से करें—और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर—बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।)

6 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”